



राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर,

अति- आवश्यक

क्रमांक:- एफ 20(6)(66)निमअ/लेखा/बीएफसी/2021-22/
उप/सहायक निदेशक,
महिला अधिकारिता,
समस्त।

जयपुर, दिनांक:-

सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य महिला आयोग।

विषय :- आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुमान एवं वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान गतवर्ष की भांति इस वर्ष भी नियमित प्रक्रिया के अधीन प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को सुनिश्चित समयावधि में तैयार कर प्रेषित करने हैं। अतः समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आय-व्ययक अनुमान तैयार करने से पूर्व आय-व्ययक नियमावली के अध्याय 10 तथा वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.4(48)वित्त-1(1)आ.व्य./2021 दिनांक 06.09.2021 द्वारा जारी परिपत्र (प्रति वित्त विभाग की वेबसाइट, बजट डिवीजन से डाउन लोड करें) में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रपत्र 1 से 10 की सूचना दिनांक 24.09.2021 तक ऑनलाईन तैयार करके विभाग को फॉरवर्ड करके तथा हार्डकॉपी ईमेल द्वारा accounts.we@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावें।

परिशिष्ट संख्या-II के बिन्दु संख्या 2 (क) में चाहेनुसार वेतन-भत्तो का विस्तृत आंकलन करके प्रपत्र-8 भी प्रस्तुत करावे तथा इस संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे।

विवरण की सत्यता के लिए कार्यालयाध्यक्ष इस आशय का प्रमाण-पत्र देवें "प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है"।

sd/-

(रश्मि गुप्ता)

आयुक्त

महिला अधिकारिता

राज0, जयपुर

जयपुर, दिनांक:- 14/9/2021

क्रमांक:- एफ 20(6)(66)निमअ/लेखा/बीएफसी/2021-22/28621

प्रतिलिपि:- प्रोगामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार

महिला अधिकारिता

राज0, जयपुर